


**मानव संसाधन विकास विभाग**  
 (शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक— 354 दिनांक— 25.04.2012 के अनुसार  
**प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर—जलालपुर (समस्तीपुर)**

**SESSION- 2022-24**  
**ACADEMIC YEAR- 2022-2023 (1st Year)**  
**TOTAL INTAKE - 200**


क्रमांक	मद का नाम	सामान्य जाति / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राशि
1	2	3
1	भवन रख—रखाव	5000
2	रसोई रख—रखाव	300
3	छात्रावास व्यवस्था	300
4	बिजली एवं पेयजल व्यवस्था	300
5	खेलकुद	300
6	पुस्तकालय	300
7	प्रयोगशाला	400
8	कम्प्यूटर	600
9	शैक्षणिक भ्रमण	400
10	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200
11	कौशन मनी	3000
12	आन्तरिक मूल्यांकन	400
<b>कुल योग</b>		<b>11500</b>


  
**प्राचार्य बिक्रम कुमार**  
 प्राठ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय  
 रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)  
 20/06/2023

**मानव संसाधन विकास विभाग**  
 (शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक— 354 दिनांक— 25.04.2012 के अनुसार  
**प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर—जलालपुर (समस्तीपुर)**

**SESSION- 2021-23**  
**ACADEMIC YEAR- 2023-2024 (2nd Year)**  
**TOTAL INTAKE - 200**

क्रमांक	मद का नाम	सामान्य जाति/ पिछङ्गा वर्ग/ अत्यंत पिछङ्गा वर्ग के लिए राशि
1	2	3
1	भवन रख—रखाव	<b>5000</b>
2	रसोई रख—रखाव	<b>300</b>
3	छात्रावास व्यवस्था	<b>300</b>
4	बिजली एवं पेयजल व्यवस्था	<b>300</b>
5	खेलकुद	<b>300</b>
6	पुस्तकालय	<b>300</b>
7	प्रयोगशाला	<b>400</b>
8	कम्प्यूटर	<b>600</b>
9	शैक्षणिक भ्रमण	<b>400</b>
10	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	<b>200</b>
11	कौशन मनी	<b>00</b>
12	आन्तरिक मूल्यांकन	<b>400</b>
<b>कुल योग</b>		<b>8500</b>

  
**प्राचार्य**  
 प्रां० शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय  
 रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)  
20/06/2023

  
20/06/2023

467

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग।

## (शोध एवं प्रशिक्षण) संकाल्प

**विषय:-** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रायमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षितों के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु निर्गति संकल्प संख्या-12 / प्रशिक्षण-89 / 2007-204 पठना दिनांक-19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपने आप में आत्म निर्भर बन सकें तथा उन्हें अपने भवनों के रख्य-स्थाप, अन्य भौतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए शरकार पर उनकी निर्भरता कम हो। इस हेतु विभागीय रांकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 दिनांक-19.06.2008 को निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2- मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या-12 / प्रशिक्षण-89 / 2007 294 पट्टना  
दिनांक-19.06.2008 का कडिका 14 को निम्नदत्त संशोधित किया गया जाता है।

"नामांकन हेतु प्रति आवश्यकी प्रतिवर्ष 10,000/- (दस हजार) की राशि शुल्क के रूप में ती जाएगी। अनुसृति जाति/जनजाति/निश्चल आद्यार्थियों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 6000/- होगी। यह निदायार्थियों के मासिक योजना एवं आवारा शुल्क लोगों का होनेवाला है।

### राजि का विद्युत नियन्त्रण

क्र०सं०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति / जनजाति / निशाकर
1	भवन रख - रखाव	5000/-	2800/-
2	बिजली / पेयजल	300/-	200/-
3	रसोई रखरखाव	300/-	200/-
4	छात्रावासा व्यवस्था	300/-	200/-
5	खेलकूद	300/-	200/-
6	पुस्तकालय	300/-	200/-
7	शैक्षिक भ्रमण	400/-	200/-
8	परिधय पत्र एव पुस्तकालय कार्ड	200/-	200/-
9	कौशल मर्ना	1500/-	1000/-
10	प्रयोगशाला	400/-	200/-
11	कम्प्यूटर	600/-	300/-
12	आतंरिक भूल्याकान	400/-	300/-
	कुल	10,000/-	6000/-

\* नोट - कौशल मनी की राशि दोनों वर्ष के लिये प्रवास के समय ही ती जायेगी जो महाराष्ट्राला प्रवास के साथ अन्यथा को वापस कर दी जायेगी।"

3. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या-12 / प्रशिक्षण-89 / 2007-204 परन्तु दिनांक-19.06.2008 के क्रमिका 17 अब निम्नवत पढ़ा जायेगा।

भवन के रखरखाव हेतु गठित रामिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो ₹० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे परन्तु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मति का प्रावक्तव्य बिहार राज्य शैक्षणिक अधिकारमा सञ्चालित नियम के अधिकार से निपटने की ज़िल्हा

460

सकेंगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति को बैठक कर किये जाने वाले कार्यों पर विषय सभी दोनों समिति को कार्यवाही संधारित की जायेगी। जिस पर समिति के रासी सदस्यों का इतनाहर रहता। मानव गतिविधि में ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अधिक की राशि व्यय हने की रिधि में विहार सभ्य प्रशिक्षणक अधिकारी रास्तना विकास निगम से प्रावक्तव्य तथा उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे।

4. मानव संराधन विकास विभाग का सकल्प सख्त्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 के कड़िका 18 अब निम्नवत पढ़ा जायेगा।

‘गौतम विद्यालय के लिए पुरतक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु उपर्युक्त समिति रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक की राशि का व्यय अपने साथ से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए हांगीम जिला दो निदेशक समिति प्राप्त कर सकती है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पूर्व संवाकातीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं के नामांकन एवं महाविद्यालय के संरचना विकास हेतु सकल्प सख्त्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक 19.06.2008 के आलोक में नियंत्रणांग दिल्ली की समत कड़िकामे संसाधित सामग्र जायेगा।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को विहार सभ्यत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाय।

*25/4/12*  
(जितेन्द्र प्रसाद)

सचिव

शिक्षा विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापाक-12/प्रशिक्षण-89/07 354

पटना दिनांक 25/4/12

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुर्जियाराम, पटना वर्ते सभ्यत्र के अंगत असामाजण अनु प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियों प्रकाशित कर उपलब्ध करायी जाय।

*25/4/12*

सचिव

शिक्षा विभाग, विहार, पटना।

ज्ञापाक-12/प्रशिक्षण-89/07 354

पटना दिनांक 25/4/12

प्रतिलिपि- वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी/ राजी शब्दीय शिक्षा उप निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय के प्राचार्य/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ आय- व्यय पदाधिकारी/ बजट शाखा/ लेखा शाखा, शिक्षा विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*25/4/12*

सचिव

शिक्षा विभाग, विहार, पटना।